रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 508] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 23, 2009/चैत्र 2, 1931
No. 508] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 23, 2009/CHAITRA 2, 1931

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2009

का.आ. 819(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी भारत सरकार के तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 465(अ), तारीख 26 अप्रैल, 2002 द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 76 के 0.00 कि.मी. से 114.00 कि.मी. तक के भूखण्ड (पिंडवारा से उदयपुर खण्ड) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा था।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित करती है कि राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 पर पिंडवारा से जसवंतगढ़ खण्ड के 0.000 कि.मी. से 57.00 कि.मी. (कुल लम्बाई 57 कि.मी.) तक के चार लेन वाले भूखण्ड के उपयोग के लिए नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट यानों के प्रकार पर उसके स्तम्भ (3), (4) और (5) में विनिर्दिष्ट दरों पर फीस उद्ग्रहीत करेगी और प्राधिकरण को विभागीय तौर पर या ठेकेदार के माध्यम से शाश्वत आधार पर, उक्त फीस का उद्ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

सारणी

क्रम संख्या	यान की विशिष्टियां	एकतरफा यात्रा के लिए यान की फीस दर (रुपए में)	उसी दिन वापसी यात्रा के लिए यानों की फीस दर (रुपए में)	एक मास में 50 यात्राओं के लिए विधि मान्य मासिक पास हेतु यानों की फीस दर (रुपए में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर यान	40	60	1295
2.	हल्के वाणिज्यिक यान, हल्के मालवाहक यान अथवा मिनी बस	65	95	2090
3.	बस अथवा ट्रक	130	195	4380
4.	भारी निर्माण मशीनें अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर अथवा बहुधुरीय यान (तीन से छह धुरी)	205	310	6865
5.	अधिक बड़े यान (सात अथवा अधिक धुरी)	250	375	8360

[फा. सं. भा रा रा प्रा/13013/440/08-09/सीओ/जीसी उदयपुर ई डब्ल्यू (0.0—57.0)]

प्रभाकर, उप सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2009

S.O. 819(E).—Whereas, *vide* notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 465(E), dated the 26th April, 2002, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government entrusted the stretch from Km. 0.00— Km. 114.00 (Pindwara—Udaipur Section) of National Highway number 76 in the State of Rajasthan to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, the Central Government hereby notifies and levies the fee at the rates specified in columns (3), (4) and (5) of the following Table, on the type of vehicles specified in column (2) thereof for use of the four-laned Pindwara—Jaswantgarh section from Km. 0.000— Km. 57.00 (total length being 57 Km.) on the National Highway number 76, in the State of Rajasthan and authorizes the Authority to collect in perpetuity, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely :—

TABLE

S. No.	Particulars of vehicle	Fee rate for vehicle for one way trip (in rupees)	Fee rate for vehicles for return trip in a day (in rupees)	Fee rate for vehicles for monthly pass valid for 50 journeys in a month (in rupees)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	40	60	1295
2.	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	65	95	2090
3.	Bus or Truck	130	195	4380
4.	Heavy Construction Machinery or Earth Moving Equipment or Multi-Axle Vehicle (three to six axles)	205	310	6865
5.	Oversized Vehicles (seven or more axles)	250	375	8360

[F. No. NHAI/13013/440/08-09/CO/GC/Udaipur EW (0.0—57.0)]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.